न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 34 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. गोपाराम पुत्र विशनाराम जाति देवासी निवासी रामासनी बालां तह0 सोजत जिला पाली राज0	01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।	

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 133, 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 26/11/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 128, 131, 133, 136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला तहसील सोजत में रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के गत खसरा नंबर 476 ग्राम रामासनी बाला की गैर मुमकिन आबादी भूमि स्थित थी। जिससे नया खसरा संख्या 776 बनाये गये है, लेकिन सैटलमेन्ट के दौरान गत नक्शा के अनुसार तरमीम नहीं की गई तथा प्रार्थी व अन्य का जिस आबादी जगह पर कब्जा चला आ रहा था, उस कब्जा सुदा भूमि का तरमीम नहीं कर अलग जगह तरमीम कर दी गई। उक्त भूमि के वर्तमान नक्शा में तरमीम गलत दर्ज कर दी गई, जिससे खसरा संख्या 476 का कुछ हिस्सा, खसरा संख्या 777 गै.मु. गोचर में चला गया। जिस जगह पर प्रार्थी का कब्जा वर्षों से चला आ रहा है। उक्त भूमि का गलत जगह पर तरमीम होने से प्रार्थी का कब्जा खसरा संख्या 777 गै.मु. गोचर में बता दिया गया। जिससे धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी। तब प्रार्थी व अन्य ने मिलकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के समक्ष उक्त भूमि का रेकर्ड दुरस्त करने हेतु कार्यवाही की गई थी। जिसकी अपील संख्या 58 / 2004 बअनवान गोपाराम बनाम सरकार एवं अपील संख्या 57 / 2004 बअनवान गोपाराम बनाम राज्य सरकार है। जिसमें दिनांक 21 / 12 / 2004 को आदेश पारित किया गया, जिसमें धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु हिदायत देते हुए आदेश जारी किया गया है। प्रार्थी एवं अन्य के द्वारा उक्त आदेश के बाद खसरा संख्या 777 में जो भूमि खसरा संख्या 776 की आबादी भूमि का हिस्सा दर्ज कर दिया गया था, उसे पुनः दुरस्त करने एवं तरमीम दुरस्ती बाबत उपखण्ड अधिकारी महोदय, सोजत में कार्यवाही की गई। जिसके आधार पर खसरा संख्या 777 रकबा 13.5000 हैक्टर में से खसरा संख्या 777 / 2 रकबा 0.3700 हैक्टर गै.मु. गौचर से गै. मु. आबादी भूमि एवं खसरा संख्या 777 / 1 रकबा 0.0800 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 517 राजस्व कैम्प मैं श्रीमान उपखंड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

के आदेश धारा 136 RTR Act के तहत प्रार्थीगण गोपाराम, कानाराम, तेनाराम वगैरह प्रकरण आदेशांक 144–45/16112/2004 के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद हुआ, लेकिन उस दरम्यान नक्शा में तरमीम करना रह गया था तथा मात्र जमाबंदी में ही दर्ज कर दिया गया था। उक्त खसरा संख्या 777/1 व 777/2 किस्म गै. मु. आबादी दर्ज की गई, हाल ही में सेग्रीगेशन के दौरान तरमीम किया गया, लेकिन पूर्व में हुए दुरस्ती के अनुसार एवं कब्जा के अनुसार तरमीम नहीं किया गया। जिसका नजरी नक्शा में तरमीम गलत कर दिया गया, जबकि सैटलमेन्ट की पूर्व के नक्शा के अनुसार दर्ज करना चाहिए था। सैटलमेन्ट के पूर्व गत खसरा संख्या 451 व 476 के नक्शे को देखने से स्पष्ट है कि दोनो खसरा के बीच स्थित माठ सिधी लाईन में थी तथा उसी अनुसार वर्तमान नक्शा में तरमीम किया जाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा उसी अनुरूप तरमीम नही की गई तथा श्रीमान के न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत दुरस्ती के आदेश के बावजुद भी तरमीम गलत दर्ज कर दी गई, जिसे पुनः दुरस्त किया जाना कानून्न आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ ही नजरी नक्शा संलग्न है। जो प्रार्थना पत्र का भाग बनाया गया है। नजरी नक्शा में आसमानी रंग से दर्शाया गया, पुरानी तरमीम है। जिसको हटाया जाकर नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया मार्क के अनुसार तरमीम कर खसरा संख्या दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसके अनुरूप ही तरमीम दुरस्त किया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। गत खसरा संख्या 451 के वर्तमान खसरा संख्या 777 बने एवं गत संख्या 476 से वर्तमान खसरा संख्या 776 बने है। जिसके वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं गत नक्शा ट्रेस को देखने मात्र से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा में गलत तरमीम कर दी गई है। तथा तरमीम दुरस्ती का आदेश होने के बावजुद भी सेग्रीगेशन के दौरान पुनः गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थी उक्त भूमि पर माफिक मौके पर कब्जा अनुसार पुनः तरमीम करवाना चाहता है। राजस्व नक्शा में गलत तरमीम हो जाने से प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार से वचिंत हो रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के माफिक कब्जा व सेटलमेन्ट के गत खसरा संख्या 451 व 476 के ट्रेस नक्शानुसार उक्त पुनः तरमीम किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला तहसील सोजत में रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के गत खसरा 476 एवं 451 के नक्शानुसार वर्तमान खसरा संख्या 776 व 777/1 व 777/2 एवं 777 की तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार पुनः तरमीम करने एवं पुर्व में हुई गलत तरमीम को हटाने के आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

प्रकरण में वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रामासनी बाला के खसरा नं0 776, 777/1, 777/2 रकबा कमशः 2.5600, 0.0800, 0.3700 है० किस्म गै०मु० आबादी व खसरा नं0 777 रकबा 13.0500 है० किस्म गै० मु० गौचर ग्राम पंचायत खारीया नींव के नाम दर्ज है। खसरा नं0 776, 777/1, 777/2 का कुल रकबा 3.0100 है० दर्ज है, मौका अनुसार लगभग 4.9500 है० भूमि पर आबादी बसी हुई है, बढी हुई आबादी भूमि खसरा नं0 777 में बसी है जो कि गै०मु० गौचर दर्ज है। खसरा संख्या 476 व 451 गत सेटलमेंट के खसरा नं० है। खसरा संख्या 451 गै०मु० गौचर तथा खसरा संख्या 476 गै०मु० आबादी दर्ज थी। रिवाईज्ड सेटलमेंट के वक्त उक्त खसरा संख्या 451 की जगह नया खसरा संख्या 776 इन्द्राज हुए। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सोजत के आदेश क्रमांक 141–42 दिनांक 16.12.2004 व 144–45 दिनांक 16.12.2004 द्वारा नामान्तरण संख्या 517 दर्ज किया जिसमे खसरा संख्या 777 किस्म गै०मु० गौचर रकबा 13.50 है० से खसरा संख्या 777/1 रकबा 0.08 है० किस्म गै०मु०आबादी व खसरा संख्या 777/2 रकबा 0.37 है० किस्म गै० मु० आबादी में परिवर्तित किया गया। उक्त दोनों नए खसरे 777/1 व 777/2 की नजरी नक्शा (तरमीम) नामान्तरण संख्या 517 की पुस्त के साथ संलग्न नहीं थी, वक्त सेग्रीगेशन उक्त खसरे 777/1 व 777/2 की तरमीम गत सेटलमेंट के खसरा सख्या 476 के अनुरूप नहीं की गई। संलग्न नजरी नक्शें अनुसार लाल स्याही सेटलमेंट से पूर्व खसरा संख्या 476 गै०मु० आबादी की स्थिति है तथा नीली स्याही सेटलमेंट के बाद खसरा संख्या 776 गै०मु० आबादी की स्थिति है। अतः वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 776, 777/1 व 777/2 की स्थिति सेटलमेंट से पूर्व के खसरे 476 की स्थिति पर अध्यारोपित नहीं है तथा नजरी नक्शा में नीली स्याही सेटलमेंट के बाद की ख0नं0 776 गै0मु0 आबादी की स्थिति तथा लाल स्याही में सेटलमेंट से पूर्व की ख0नं0 476 गै0मु0 आबादी की स्थिति हैं, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला तहसील सोजत में रिवाईज्ड सैटलमेन्ट के गत खसरा नंबर 476 ग्राम रामासनी बाला की गैर मुमकिन आबादी भूमि स्थित थी। जिससे नया खसरा संख्या 776 बनाये गये है, लेकिन सैटलमेन्ट के दौरान गत नक्शा के अनुसार तरमीम नहीं की गई, सैटलमेन्ट के पूर्व गत खसरा संख्या 451 व 476 के नक्शे को देखने से स्पष्ट है कि दोनो खसरा के बीच स्थित माठ सिधी लाईन में थी तथा उसी अनुसार वर्तमान नक्शा में तरमीम किया जाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा उसी अनुरूप तरमीम नही की गई तथा श्रीमान के न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत दुरस्ती के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

आदेश के बावजुद भी तरमीम गलत दर्ज कर दी थी। जिसे पुनः दुरस्त किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में खसरा नं0 776, 777/1, 777/2 की स्थिति सेटलमेंट से पूर्व के खसरे 476 की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं। जिससे ख.नं. 777 की वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त करते हुए पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित सेटलमेंट से पूर्व की ख0नं0 476 किस्म गै0मु0 आबादी की स्थिति की उत्तरी सीमा तक तरमीम किये जाने तथा ख0नं0 777/2 की तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शे में बढाते हुए ख0नं0 777 की दक्षिण सीमा के तथा ख0नं0 777/1 व 776 के बीच तक तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131, 133, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला तहसील सोजत के ख.नं. 777 की वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त करते हुए पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित सेटलमेंट से पूर्व की ख0नं0 476 किस्म गै0मु0 आबादी की स्थिति की उत्तरी सीमा तक तरमीम किये जाने तथा ख0नं0 777/2 की तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शे में बढाते हुए ख0नं0 777 की दक्षिण सीमा के तथा ख0नं0 777/1 व 776 के बीच तक तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत